न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 09/2017

अपीलान्ट्स

01. जसी देवी पुत्री अमराराम पत्नी केसूराम जाति सुथार, निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. सिवरी देवी पुत्री अमराराम पत्नी मोहनराम जाति सुथार, निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
03. रूकमो देवी पुत्री अमराराम पत्नी जैताराम जाति सुथार, निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

01. जसाराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
02. रावलराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
03. श्रीमती फुली पत्नी अमराराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
04. तहसीलदार, बालेसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरुद्ध म्यूटेशन संख्या 08 राजस्व ग्राम देवगढ़ को उप तहसीलदार बालेसर के द्वारा दिनांक 07.09.1998 को स्वीकृत किया

राजस्व अपील सं. : 10/2017

अपीलान्ट्स

01. जसी देवी पुत्री अमराराम पत्नी केसूराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. सिवरी देवी पुत्री अमराराम पत्नी मोहनराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
03. रूकमो देवी पुत्री अमराराम पत्नी जैताराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स

01. जसाराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
02. रावलराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
03. श्रीमती फुली पत्नी अमराराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
04. तहसीलदार, बालेसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरुद्ध म्यूटेशन संख्या 500 राजस्व ग्राम गोपालसर को उप तहसीलदार बालेसर के द्वारा दिनांक 07.09.1998 को स्वीकृत किया

राजस्व अपील सं. : 11 / 2017
<u>अपीलान्ट्स</u>

01. जसी देवी पुत्री अमराराम पत्नी केसूराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. सिवरी देवी पुत्री अमराराम पत्नी मोहनराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
03. रूकमो देवी पुत्री अमराराम पत्नी जैताराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

01. जसाराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
02. रावलराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
03. श्रीमती फुली पत्नी अमराराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
04. तहसीलदार, बालेसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरुद्ध म्यूटेशन संख्या 499 राजस्व ग्राम गोपालसर को उप तहसीलदार बालेसर के द्वारा दिनांक 07.09.1998 को स्वीकृत किया

राजस्व अपील सं. : 12 / 2017
<u>अपीलान्ट्स</u>

01. जसी देवी पुत्री अमराराम पत्नी केसूराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी सालोड़ी तहसील व जिला जोधपुर।
02. सिवरी देवी पुत्री अमराराम पत्नी मोहनराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तेना तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
03. रूकमो देवी पुत्री अमराराम पत्नी जैताराम जाति सुथार निवासी शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर हाल निवासी तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

ब ना म

<u>रेस्पोडेन्ट्स</u>

01. जसाराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
02. रावलराम पुत्र श्री अमराराम जाति सुथार
03. श्रीमती फुली पत्नी अमराराम जाति सुथार निवासीगण ग्राम शहीद मेघसिंह नगर गोपालसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
04. तहसीलदार, बालेसर तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम बविरुद्ध म्यूटेशन संख्या 07 राजस्व ग्राम देवगढ़ पटवार गोपालसर को उप तहसीलदार बालेसर के द्वारा दिनांक 07.09.1998 को स्वीकृत किया

उपस्थिति :
1. अपीलान्ट की ओर से श्री गिरधर सिंह भाटी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजुद इतला तामील नोटीस के अनुपस्थित।

—: आदेश :—

दिनांक : 12.02.2018

राजस्व अपील संख्या **09/2017** ग्राम देवगढ़, नामान्तरकरण संख्या 08 दिनांक 07.09.1998, राजस्व अपील संख्या **10/2017** ग्राम गोपालसर नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 07.09.1998, राजस्व अपील संख्या **11/2017** ग्राम गोपालसर नामान्तरकरण संख्या 499 दिनांक 07.09.1998, राजस्व अपील संख्या **12/2017** ग्राम देवगढ़ नामान्तकरण संख्या 07 दिनांक 07.09.1998 के विरूद्ध पेश की गयी है। उक्त चारों अपीलो के कानूनी बिन्दू व तथ्य एक समान (SIMILAR TYPE) होने के कारण इन सभी का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

अपीलार्थी ने अपने अपील मीमों में कथन किया कि ग्राम देवगढ़, गोपालसर में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति स्व. अमराराम के नाम से सयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई थी। स्व. श्री अमराराम का देहान्त होने पर जो फौतेदगी म्यूटेशन हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.09.1998 को यह नोट लगाकर पेश किया कि खातेदार अमराराम दो माह पूर्व फौत हुए इनके जाइन्दा वारिसो के नाम नामान्तरकरण भरकर जाँच व स्वीकृती हेतु पेश है। लेकिन हल्का पटवारी ने स्व. अमराराम के सभी प्रथम श्रेणी वारिशान की जाँच नही कर नामान्तरकरण नही भरा गया। स्वर्गीय अमराराम के प्रथम श्रेणी के वारिस तीन जायन्दा पुत्रिया अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स. 03 है। नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया और विवादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो कानूनन गलत है जबकि अपीलान्ट भी स्व. अमराराम की जायन्दा पुत्रीया है। हमारा नाम भी राजस्व रेकर्ड में होना चाहिये। जबकी स्व. अमराराम के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में पुत्रों व पत्नि के नाम दर्ज किया गया है। जो गलत है।

अपीलार्थी ने अपनी अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादबग्रस्त आराजी का चारो अपीलों में स्वीकृत नामान्तरकरण स्वीकृत की जानकारी अपीलान्ट को जानकारी नहीं थी उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण की नकले हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई दिनांक 21.04.2017 को इससे पूर्व जानकारी नही थीं कारण कि अपीलान्ट ग्रामिण परिवेश की औरत है तथा अनपढ़ है। कानूनी की जानकारी नही है। अतः अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की जा रही है।

हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को न्याय हित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीया की अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

इस प्रकरण में यह एक तथ्यात्मक स्थिति है कि मृतक अमराराम पुत्र राजुराम कौम सुथार के फौत होने पर नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा ग्राम देवगढ़ के नामान्तरकरण 08, ग्राम गोपालसर के नामान्तरकरण संख्या 499, 500 व ग्राम देवगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 07 जो दिनांक 07.09.1998 को स्वीकृत किया गया है। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में मृतक अमराराम के वारिशान के रूप में 02 पुत्र व मृतक के पत्नी के नाम ही नामान्तरकरण भरा गया है जबकि प्रस्तुत अपील मीमो मे खानदान सजरा के अनुसार मृतक अमराराम की पत्नी फुली, तीन पुत्रीयां जसीदेवी, सीवरीदेवी, रूकमो देवी एवं 02 पुत्र जसाराम व रावलराम है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धारा 8 तहत अपीलार्थीया मृतक अमराराम की प्रथम श्रेणी की वारिशान है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के सभी उत्तराधिकारीयों को बिना सुने नामान्तरकरण पारित किया है तो ऐसा आदेश शुन्य है। ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है मियाद का प्रश्न आड़े नही आता है।

अतः अपील अपीलार्थीया की स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त चारों अपीलो में ग्राम देवगढ़ नामान्तरण संख्या 07 व 08 दिनांक 07.09.1998, ग्राम गोपालसर नामान्तरकरण संख्या 500 व 499 दिनांक 07.09.1998 का आदेश एतद निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बालेसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार स्व. श्री अमराराम पुत्र राजुराम कौम सुथार के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की विधिवत जॉच की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही एक माह के भीतर नये सीरे से पूर्ण करें।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर